राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–162/2025

डॉ. किशोर कुमार —**अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, (ग्रुप–2) एवं पंचायती राज, (चिकित्सा), जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुत करने की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री यशपाल खिलेरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक के पद पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधुबन आवसीय मंडल, बस्ती, जोधपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, खीवसर जिला नागौर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि जिला चिकित्सालय, खीवसर, जिला नागौर में उप निदेशक का ऐसा कोई पद स्वीकृत नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थान स्थान का नाम गलत तरीके से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधुबन, आवास मंडल, बासनी, जोधपुर के स्थान पर राजकीय औषालय, मधुबन, बासनी, जोधपुर के रूप में दर्शाया गया है। अतः

अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधुबन आवसीय मंडल, बस्ती, जोधपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, खीवसर जिला नागौर में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि '' If there is no vacancy for granting DACP available, The Post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post.'' कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में प्रशासनिक एवं राज्यहित में किया गया है। किसी भी कार्मिक को यह अधिकारी प्राप्त नहीं है कि उसे एक ही विशेष स्थान पर पदस्थापित रखा जावे। नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य